

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 14/2020

रजिस्ट्रेशन नं. :2020/00015

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

बनाम

श्री सुनिल कुमार यादव पुत्र श्री कृष्ण कुमार
यादव जाति यादव मालिक मैसर्स सुनिल
कुमार मावा वाला वार्ड नं.3 सुन्दनपुर तहसील
व जिला बांसवाड़ा स्थायी पता - वार्ड नं.3
सुन्दनपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा

उपस्थित :-

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

श्री सुनिल कुमार यादव पुत्र श्री कृष्ण कुमार
यादव

**अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011**

निर्णय

दिनांक 08.07.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 02-06-2020 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 27-11-2019 को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स सुनिल कुमार मावा वाला वार्ड नं.3 सुन्दनपुर पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री सुनिल कुमार यादव पुत्र श्री कृष्ण कुमार यादव उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान पर करीब 13 किलोग्राम मावा स्टील की परात में रखा हुआ आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें सब स्टैण्डर्ड, अनसोफ का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त मावा 1 किलोग्राम साफ, सूखी एवं खाली स्टील की ट्रे में जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 240 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2019 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा 1 किलोग्राम मावे को चार साफ, सुखे व खाली कोंच के जारों में बराबर-बराबर भरकर फार्मलीन की 20 बूंद प्रत्येक में डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमूना भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा को जमा करवाया।

अनिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक 356 दिनांक 26.12.2019 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा से प्राप्त जाँच रिपोर्ट क्रमांक 12 दिनांक 10.12.2019 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय किया गया मावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(2)(X) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 03-06-2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 08.07.2020 को अभियुक्त श्री सुनिल कुमार यादव पुत्र श्री कृष्ण कुमार यादव जाति यादव मालिक गैसर्स सुनिल कुमार मावा वाला वार्ड नं.3 सुन्दनपुर ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।


प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि, एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक 356 दिनांक 26.12.2019 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 12 दिनांक 10-12-2019 के अनुसार विक्रता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(XX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(XX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया मावा विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री सुनिल कुमार यादव पुत्र श्री कृष्ण कुमार यादव जाति यादव मालिक गैसर्स सुनिल कुमार मावा वाला वार्ड नं.3 सुन्दनपुर तहसील व जिला बॉसवाडा स्थायी पता - वार्ड नं.3 सुन्दनपुर तहसील व जिला बॉसवाडा को रूपये 10000/- (अक्षरों में दस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.12 के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-शिक्षिता तथा लोक स्वास्थ्य 04-लोक स्वास्थ्य-800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि ती प्रिन्स में राजकोष में जमा कराकर बालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।




न्याया (नरेश बुनकर)
न्याय-निर्णयन अधिकारी
(अति-जिला कलक्टर)
बांसवाडा

